



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05062026-273171
CG-MH-E-05062026-273171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2738]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2738]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 1 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2832(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 27 जून 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2882 (E) तारीख 27 जून 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना (131 Kms)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा खंडवा जिले दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक भास्कर" और "दैनिक पत्रिका" में तारीख 09-07-2025 को प्रकाशित किया गया था ।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपो कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के अंतर्गत 3 गाँव का विशेष रेल परियोजना “भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना” (131 Kms) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	ग्राम	प.न.ह.	खसरा नंबर	धारित कुल रकबा (हे.आर.)	अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल (हे.आर.)	भूमि का प्रकार	भूमिधारक का नाम / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	फतेहपुर	94	370	0.1500	0.1380	सिंचित	नंदराम पिता हीरा
2			368	0.7300	0.6630	सिंचित	
3			366	1.2600	1.1790	सिंचित	अनोखीलाल पिता मोतीराम
4			365	1.6300	0.8870	सिंचित	नारायण पिता फत्तु
5			364	0.8000	0.4590	सिंचित	चेतराम उर्फ नानकराम पिकडवा.
6			363	0.8200	0.4440	सिंचित	कृष्णाबाई भागीरथ हरेराम मोहन पिता श्रीराम सकुनबाई पिता चुन्नीलाल शुभम किर्ती रजनी रंजना पिपुन्नीलाल .
7			362/3	0.7400	0.3980	सिंचित	नमिता पति राजेश ममता पति दौलतसिंह
8			362/2	0.7400	0.3880	सिंचित	उषाबाई पति पन्नालाल
9			362/1	0.7500	0.4180	सिंचित	बिहारी पिता मोहन
10			359/1	0.4200	0.2090	सिंचित	गोकुल पिता नारायण
11			359/2	0.2000	0.1040	सिंचित	मुकेश पिता राधेश्याम
			350/3	0.4000	0.0380		
12			357	0.2200	0.1940	सिंचित	उमेश पिता राधेश्याम
13			358	0.2200	0.1960	सिंचित	
14			352/2	0.2000	0.0120	सिंचित	उमेश पिता राधेश्याम प्रेमलाल पिता किशन
			352/1/2	0.2000	0.0120		
15			350/1	0.4000	0.0700	सिंचित	गोकुल पिता रामा
			349/2	0.3400	0.0730		
16	350/2	0.0300	0.0060	सिंचित	नानीबाई पति पूनमचंद		
17	349/1	0.3800	0.1020	सिंचित	दशरथ पिता रामलाल		
18	339	0.9400	0.1610	सिंचित	कडवा रूखमणीबाई परमयीबाई पिता जोगीलाल		

19			340 98 99 341	0.2200 0.1700 0.5000 0.2400	0.1390 0.0490 0.2890 0.1540	सिंचित	गेंदालाल पिता कडवा
20			95	0.1500	0.0280	सिंचित	अशोक गोपाल अलका लताबाई पिता हूकुम सकुनबाई पति हूकुम कैलाश टीकाराम रामदास तरूणबाई नर्मदाबाई संतोषबाई पिता दयाराम रमाबाई पति धन्नालाल मांगीलाल शिवा पिता धन्नालाल गणपत देवराम गेंदालाल देवीदास भाईराम दगडईबाई बसुबाई पिता नारायण रूखडू नथई पिता गोंविद रामजी पिता कालू रामकुंवरबाई पति दयाराम
21			93	1.0700	0.2550	सिंचित	रूखडू पिता गोविन्द
22			92	0.8000	0.0160	सिंचित	धनजी पिता कडवा
			योग	14.7200	7.081	-	-
1	टिघरिया	102	171/2	0.2800	विलोपित	-	मीराबाई गिरधारी
2			171/1	0.6000	0.3610	सिंचित	मेहन पिता गिरधारी
3			193/4	0.4600	0.1410	सिंचित	बाबूलाल पिता बिन्दादीन
4			193/3	0.4300	0.1420	सिंचित	किशोरीलाल पिता बिन्दादीन
5			193/2	0.4200	0.1280	सिंचित	रमेशचंद पिता बिन्दा
6			193/1	0.4200	0.1570	सिंचित	नरेन्द्र विनोद मनोज शोभाबाई पिता शंकरलाल उर्मिलाबाई पतिशंकरलाल
7			194	0.3800	0.1240	सिंचित	अशोक पिता गंगादीन
8			195/3	0.3100	0.1370	सिंचित	मलती पति प्यारेलाल अजील अजाद पिता प्यारेलाल अकाश विशाल पिता किशन राधाबाई पति किशन
9			195/2	0.2400	0.1280	सिंचित	सुशीलाबाई पुत्री रामअवतार
10			195/1	0.2400	0.1900	सिंचित	सोनाबाई पुत्री रामअवतार
11			197/1	3.4400	0.2140	सिंचित	भूरलाल पिता गंगाराम
12			264 265	1.0700 0.7200	0.6510 0.2930	सिंचित	धर्मशील ज्ञानेश्वर पिता चंद्रकांत शारदाबाई रंजनाबाई सरोजबाई अरुणाबाई वंदना पुत्री चंद्रकांत
13			267	1.4500	0.7940	सिंचित	वंशीलाल पिता कडवा
14			268/1	0.5400	0.5400	सिंचित	भोलाराम पिता रामअवतार
15			268/2	0.5400	0.1850	सिंचित	बिहारी पिता रामअवतार
16			271/1	1.2000	0.2980	सिंचित	ओमप्रकाश पिता गंगादीन
17			271/2	1.8500	0.4010	सिंचित	ओमप्रकाश पिता गंगादीन

18			272/1	1.2300	0.3230	सिंचित व्यवसायिक में डायवर्सन	सदाशिव पिता सखाराम
19			272/2	1.0000	0.3530	सिंचित	वासुदेव मंशाराम
20			273	1.4500	0.4390	सिंचित	गेंदालाल कडवा
21			274	2.0000	0.3450	सिंचित	
			योग	18.4800	6.3440		
1	कोहदड	109	35/1	3.9400	1.2300	सिंचित	मुबिना बी पुत्री शेख इस्माईल
2			35/2	1.6000	0.7840	सिंचित	शेख रफीक पिता शेख रजाक
3			34	1.2500	0.6870	सिंचित	शेख रफीक पिता शेख रजाक
4			33/1	1.6700	1.0520	सिंचित	आलिम पिता शेख हुसैन
5			64	1.7500	1.2920	सिंचित	सुन्दराबाई राधेश्याम
6			65/2	1.4300	0.5830	सिंचित	हिरालाल पिता बट्टी
7			65/1	1.5000	0.3210	सिंचित	जीतेन्द्र पिता हिरालाल
8			66	1.8500	0.1880	असिंचित	आशाबाई बेवा राधेश्याम
9			16/2	1.1100	0.0090	सिंचित	राहुल पिता शांतिलाल
			योग	16.1000 (हे.आर.)	6.1460 (हे.आर.)		
			कुल योग	49.3000 (हे.आर.)	19.5710 (हे.आर.)		

[फा. सं. G197/BSL-KNW 3rd & 4th Line/KNW Tehsil/3 Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st June, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2832(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2882 (E) dated 27th June 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 27th June 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th Line Project (131 Kms) in the district of Khandwa in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Khandwa in daily newspapers namely “Dainik Bhaskar” & “Dainik Patrika” Dated 09-07-2025 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

							Ramkunwarbai Pati Dayaram
21			93	1.0700	0.2550	Irrigated	Rukhdu Pita Govind
22			92	0.8000	0.0160	Irrigated	Dhanji Pita Kadwa
			Total	14.7200	7.081	-	-
1	Tighariya	102	171/2	0.2800	Annihilated	-	Mirabai Girdhari
2			171/1	0.6000	0.3610	Irrigated	Mehan Pita Girdhari
3			193/4	0.4600	0.1410	Irrigated	Babulal Pita Bindadin
4			193/3	0.4300	0.1420	Irrigated	Kishorilal Pita Bindadin
5			193/2	0.4200	0.1280	Irrigated	Rameshchand Pita Binda
6			193/1	0.4200	0.1570	Irrigated	Narendra Vinod Manoj Shobhabai Pita Shankarlal Urmilabai Pati Shankarlal
7			194	0.3800	0.1240	Irrigated	Ashok Pita Gangadin
8			195/3	0.3100	0.1370	Irrigated	Malti Pati Pyarelal Ajil Azad Pita Pyarelal Akash Vishal Pita Kishan Radhabai Pati Kishan
9			195/2	0.2400	0.1280	Irrigated	Sushilabai Putri Ramavatar
10			195/1	0.2400	0.1900	Irrigated	Sonabai Putri Ramavatar
11			197/1	3.4400	0.2140	Irrigated	Bhurelal pita Gangaram
12			264 265	1.0700 0.7200	0.6510 0.2930	Irrigated	Dharmshil Dnyaneshwar Pita Chandrakant Sharadabai Ranjanabai Sarojbai Arunabai Vandana Putri Chandrakant
13			267	1.4500	0.7940	Irrigated	Banshilal Pita Kadwa
14			268/1	0.5400	0.5400	Irrigated	Bholaram Pita Ramavatar
15			268/2	0.5400	0.1850	Irrigated	Bihari Pita Ramavatar
16			271/1	1.2000	0.2980	Irrigated	Omprakash Pita Gangadin
17			271/2	1.8500	0.4010	Irrigated	Omprakash Pita Gangadin
18			272/1	1.2300	0.3230	Diversion for irrigated commercial use	Sadashiv Pita Sakharam
19			272/2	1.0000	0.3530	Irrigated	Vasudev Mansharam
20			273	1.4500	0.4390	Irrigated	Gendalal Kadwa
21			274	2.0000	0.3450	Irrigated	
			Total	18.4800	6.3440		
1	Kohdad	109	35/1	3.9400	1.2300	Irrigated	Mubina Bi Putri Sheikh Ismail
2			35/2	1.6000	0.7840	Irrigated	Sheikh Rafiq Pita Sheikh Razak
3			34	1.2500	0.6870	Irrigated	Sheikh Rafiq Pita Sheikh Razak
4			33/1	1.6700	1.0520	Irrigated	Aalim Pita Sheikh Hussain
5			64	1.7500	1.2920	Irrigated	Sundarabai Radheshyam
6			65/2	1.4300	0.5830	Irrigated	Hiralal Pita Badri
7			65/1	1.5000	0.3210	Irrigated	Jitendra Pita Hiralal
8			66	1.8500	0.1880	Non-Irrigated	Ashabai Bewa Radheshyam
9			16/2	1.1100	0.0090	Irrigated	Rahul Pita Shantilal
			Total	16.1000 Ha	6.1460 Ha		
			Grand Total	49.3000 Ha	19.5710 Ha		

[F. No. G197/BSL-KNW 3rd & 4th Line/KNW Tehsil/3 Vlg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)